हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म

नम्बर व ... इस हुक्म ... जारी हुआ

24.10.24

बवजह आए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 5.11.24 को पेश हो।

05.11.2024

बवजह आए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 12.....को पेश हो।
04.24

4.12.24

वकील उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 नाम से दिनांक 12.04.1973 को वादग्रस्त आराजी प्रार्थी (वादी) व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 1) के पिता करतार सिह की आय से खरीद की हुई है, अप्रार्थी संख्या 1 की वर्ष 1973 में लगभग 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही हो रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में खरीद शुद्वा आराजी को रहन बैय करने से रोका जाने पर अपूर्णिय क्षति होगी का कथन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया है जो कतई सही नही है। जबकि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 ने पंजाब नेशनल बेक ढाबा मे रहन दर्ज करवाकर ऋण प्राप्त कर रखा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 तत्समय बालिग था इसके प्रमाण भी पत्रावली पर स्पष्ट नही है।. के नाबालिंग अवस्था में अपनी स्वयं की मेहनत मुशक्कत से भूमि खरीद किये जाने के कथन भी सही प्रतीत नही होता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी जाती है तो प्रार्थी (वादी) एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को भी अपूर्णीय क्षति होगी जिनको भी सुना जाना आवश्यक है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन अपूर्णीयक्षति पर विचरण किया गया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावाली के अवलोकन से उपरोक्त बिन्दु ... के पक्ष में तय किये जाते है। वाद बहुलता को रोकने एवं वादग्रस्त सम्पति की संरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा इस आश्य की कन्फर्म कि जाती है कि उभय पक्ष चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 177/122 में दर्शन सिह पुत्र करतार सिह के नाम दर्ज आराजी के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र 212 मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:29 IST
Reason: SelfAttested